

पूरवोत्तर परषिद के पुनर्रगठन को मल्लि स्वीकृति

चर्र्चा में क्यौं?

- पूर्रधनमंत्तरी नरेंद्र मोदी की अध्दयकृषता में केंद्रीय मंत्तर्मिडल ने पूर्रवोत्तर परषिद के पुनर्रगठन को स्वीकृति दे दी है । पूर्रवोत्तर कृषेत्तर वकिस मंत्तरालय द्दवारा पूर्रवोत्तर परषिद के पुनर्रगठन में केंद्रीय गृहमंत्तरी को इस संस्र्था का पदेन अध्दयकृष बनाने का प्रस्ताव कथिा गया था ।

संगठन

- नई व्दयवस्र्था के अंत्तरगत पूर्रवोत्तर परषिद के अध्दयकृष गृह मंत्तरी हौंगे और पूर्रवोत्तर कृषेत्तर वकिस राज्दय मंत्तरी उपाध्दयकृष हौंगे ।
- इस संस्र्था में सभी आठ पूर्रवोत्तर राज्दयों के राज्दयपाल और मुख्दयमंत्तरी सदस्य हौं ।
- मंत्तर्मिडल ने पूर्रवोत्तर कृषेत्तर वकिस राज्दय मंत्तरी (स्वतंत्तर प्रभार) को परषिद के उपाध्दयकृष के रूप में कार्दय करने की भी स्वीकृति दे दी है ।

महत्त्वपूर्रण बद्दि

- NEC राज्दय और केंद्र सरकार के माध्दयम से वभिन्निन परर्रियोजनाओं को लागू करती है ।
- यह परषिद अंत्तर-राज्दयीय वषियों पर वस्र्तुत वचिर-वमिर्श के लयि मंच प्रदान करेगी और भवषिय में अपनाये जाने वाले समान दृषटकिणों पर वचिर भी करेगी ।
- NEC अब मादक द्रव्यौं की तस्र्करी, हथयिरौं और गोला-बारूदों की तस्र्करी, सीमा वविदों जैसे अंत्तर-राज्दयीय वषियों पर वचिर-वमिर्श के लयि वभिन्निन कृषेत्तरीय परषिदों द्दवारा कथि जा रहे कार्दयों की नगिरानी करेगी ।
- NEC के नए स्वरूप से यह पूर्रवोत्तर कृषेत्तर के लयि कारगर संस्र्था बनेगी ।
- परषिद समय-समय पर परर्रियोजनाओं/योजनाओं के कार्दयान्वयन की समीकृषा करेगी, इन परर्रियोजनाओं आदिके लयि राज्दयों के बीच समन्वय के लयि कारगर उपायों की सफिरारशि करेगी ।
- परषिद को केंद्र सरकार द्दवारा दी गई शकृत्तियौं प्राप्त हौंगी ।

पृषटभूमि:

- NEC की स्थापना पूर्रवोत्तर परषिद अध्नियिम, 1971 के अंत्तरगत की गई थी ।
- इसकी स्थापना संतुलति और समन्वति वकिस सुनश्चिति करने तथा राज्दयों के साथ समन्वय में सहायता देने केलयि शीर्ष संस्र्था के रूप में की गई थी ।
- इसके सदस्य पूर्रवोत्तर भारत के आठ राज्दय अरुणाचल प्रदेश, असम, मणपुिर, मेघालय, मज्जोरम, नगालैण्ड, सकिक्मि और त्रपुिरा हौं ।
- इसका मुख्दयालय शल्लिौनग में स्थति है और यह पूर्रवोत्तर कृषेत्तर वकिस मंत्तरालय (भारत सरकार) के अंत्तरगत आती है ।
- 2002 के संशोधन के बाद NEC को पूर्रवोत्तर कृषेत्तर के लयि कृषेत्तरीय नयिोजन संस्र्था के रूप में कार्दय करने का अधकिार दयिा गया है और NEC इस कृषेत्तर के लयि कृषेत्तरीय योजना बनाते समय दो या अधकि राज्दयों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं और परर्रियोजनाओं को प्राथमकिता देगी ।
- परषिद सकिक्मि के मामले में वर्रिष परर्रियोजनाएँ और योजनाएँ बनाएगी ।

पूर्रवोत्तर कृषेत्तर वकिस मंत्तरालय

- पूर्रवोत्तर कृषेत्तर वकिस मंत्तरालय का दायतिव पूर्रवोत्तर कृषेत्तर के वकिस संबंधी परर्रियोजनाओं के लयि योजना बनाने, उनका कर्दियान्वयन और देख-रेख करना है ।
- इसका दृषटकिण कृषेत्तर के सामाजकि - आरथकि वकिस की गतकिो बढाना है ताकइसे देश के अन्य भागों में हो रहे वकिस के समान लाभ मलि सकें ।

